FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2024 / 399

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर

राजस्व वाद संख्या : 1474 / 2024

प्रार्थी — अप्रार्थी

चैनाराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

किस्म मुकदमा– रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.2024	प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को कार्यालय समय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी होकर पत्रावली दिनांक 07.10.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	
07.10.2024	पत्रावली पेश हुई पत्रावली मे अप्रार्थी के समन तामिल वास्ते इन्तजार होकर पत्रावली दिनाक 16.10.2024 को पेश हों सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	
16.10.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मे अप्रार्थी का समन तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण मे प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस का निवेदन किया गया जिस पर प्राथीगण के प्रार्थना पत्र पर विस्तार से सुना गया तथा प्रार्थना पत्र संख्या 8/2003 अनवान चैनाराम वगैरा बनाम सरकार निर्णय दिनांक 28.08.2024 जो अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज किया गया था। जिसे प्रार्थीगण मनसुख कराकर पुनः राजस्व प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णय करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व मूल प्रार्थना पत्र पुनः बराबद किया जाकर दर्ज रजिस्टर किया जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	